भारत सरकार **मूल हिंदी में**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 196

25.11.2024 को उत्तर के लिए

वनों की कटाई रोकने के लिए कदम

196. श्री दुलू महतोः

श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क. क्या सरकार ने झारखंड में वनों की कटाई की बढ़ती दर को रोकने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है और झारखंड राज्य में वनों की कटाई की बढ़ती दर के क्या कारण हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ख. सरकार द्वारा वर्तमान में वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

ग. सरकार द्वारा झारखंड राज्य में पर्यावरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

घ. क्या उक्त नियमों के संबंध में प्रभावी प्रवर्तन तंत्र विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ङ. क्या सरकार वनों और पर्यावरण के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यक्रम लागू कर रही है; और

च. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री:
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) और (ख): भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, जोकि इस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, देश के वन क्षेत्र का हर दो वर्ष में आकलन करता है और उसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। एक छोर से दूसरे छोर वन क्षेत्र के मानचित्रण का कार्य दूर संवेदन तकनीक का उपयोग करके किया जाता है तथा इसका गहन जमीनी सत्यापन किया जाता है और

राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्रीय आंकडों से मिलान भी किया जाता है। नवीनतम आईएसएफआर-2021 के अनुसार, झारखंड के वन क्षेत्र में आईएसएफआर-2019 की तुलना में 110 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ): झारखंड राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, एक राज्य विनियामक निकाय के रूप में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों/संबंधित एजेंसियों द्वारा संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करता है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विभिन्न अधिनियमों के तहत् चूककर्ता इकाइयों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करके/प्रतिसंहरण निर्देश या बंद करने के निर्देश जारी करके सुधारात्मक उपाय कर सकता है।

(ड़.) और (च): वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों, जैसे कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम), वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा), नगर वन योजना (एनवीवाई) और तटीय पर्यावासों तथा मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिश्टी), आदि का कार्यान्वयन कर रही है। ये योजनाएं और कार्यक्रम वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर वनरोपण, वन परिदृश्य बहाली, पर्यावास सुधार, मृदा और जल संरक्षण उपायों तथा सुरक्षा के माध्यम से पारिस्थितिक पुनर्बहाली के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रयासों में सहायता प्रदान करते हैं। इन सभी योजनाओं और कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी शामिल है। इससे पहले, 'सहभागी वन प्रबंधन' को वन शासन और प्रबंधन के एक अभिन्न अंग के रूप में संस्थागत किया गया था। संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) कार्यक्रम के तहत, वन क्षेत्रों को स्थानीय समुदायों द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ मिलकर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। इन उद्देश्यों में वन संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना, वन क्षेत्र में सुधार करना, अवक्रमित वन भूमि को पुनर्बहाली करना, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देना, जलग्रहण क्षेत्रों में वाटरशेड क्षमता को बहाल करना और स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना शामिल है।

******